

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/3221 /

जबलपुर, दिनांक 27/04/2024

II-14-47/24

श्री दीपक सोलंकी, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 13 (ii) के अनुसार दिनांक 15.04.2024 से 07.05.2024 तक 23 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)


पृष्ठांकन क्रमांक A/3222 /

जबलपुर, दिनांक 27/04/2024

II-14-47/24

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक अवकाश/821 इंदौर दिनांक 02.04.2024 के संदर्भ में श्री दीपक सोलंकी, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर का निर्धारित प्रपत्र मूलतः को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. ए.ओ. (जे) स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
5. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)